बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Website-buhs.ac.in, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 196(1) दिनांक 28.03.2024 द्वारा निदेशित किया गया कि पारामेडिकल/पाराडेन्टल/फार्मेसी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स तथा जी॰एन॰एम॰ एवं ए॰एन॰एम॰ कोर्स के सबंद्धन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त स्वास्थ्य विभागीय दिशानिर्देश के क्रम उक्त कोर्सों से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों का संबंद्धन की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गयी। परन्तु इसी बीच श्री बालाजी नर्सिंग स्कूल एवं अन्य 17 संस्थानों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या 19010/2024 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना दिनांक 25.03.2025 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 196(1) दिनांक 28.03.2024 एवं उक्त के क्रम में निर्गत विश्वविद्यालय सूचना दिनांक 28.10.2024 को वादी के पक्ष में स्थगित कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 14.10.2025 को न्याय निर्णय (...... 31. Before parting with this case, it must be clarified that on account of pendency of the writ petition, in no circumstances, any students of the institution shall be subjected to disqualification for appearing in due course and/or examination, after proper affiliation of their institution with the University........) पारित किया तत्पश्चात इस कार्स से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर परीक्षा ले ली गयी है एवं आगे की परीक्षाओं का संचालन त्वरित रूप से किया जा रहा है।

उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA सं॰ 1090/2025 दायर किया गया है। उक्त LPA में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 को पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार का Stay नहीं दिया गया है।

उक्त के फलस्वरूप पारामेडिकल/पाराडेन्टल/फार्मेसी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स तथा जी॰एन॰एम॰ एवं ए॰एन॰एम॰ कोर्सों से संबंधित संस्थानों का संबंद्धन एवं परीक्षा की कार्रवाई जारी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सत्र 2023–24 से संबंद्धन एवं परीक्षा संचालन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

विश्वविद्यालय द्वारा पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया के उपरान्त परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों से करवा कर परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से त्रुटिरहित परीक्षाफल प्रकाशित करने की सतर्कता रखी गयी है। फिर भी इस परीक्षाओं में जिन छात्रों को अपने परीक्षाफल पर आपत्ति है तो, वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 10 रूपये के पोस्टल ऑडर (विश्वविद्यालय के पक्ष में देय) के साथ आवेदन कर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति की मांग कर सकते हैं। उत्तरपुस्तिका की मूल्यांकित प्रति संबंधित छात्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये ईमेल आईडी पर निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी। छात्र अपनी उत्तरपुस्तिकाओं को देख कर आश्वस्त हो लें तथा फिर भी यदि आवश्यक हो तो अपनी शिकायत/आपत्ति संबंधी आवेदन विश्वविद्यालय में समर्पित कर सकते हैं, जिसपर विश्वविद्यालय उनकी आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार करेगा।